कार्यालय : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सन्त कबीरनगर।

पत्रांक : बेसिक/1338-42 /2019-20 दिनांक, 18 जून 2019

आदेश

प्रबन्धक, जी०आर० एकेडमी, देवडाड, सन्त कबीरनगर ने अपने दिनांकरहित प्रत्यावेदन के माध्यम से शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-18 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6 दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तो के अन्तर्गत स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी, बघौली द्वारा हस्ताक्षरित है।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सन्त कबीरनगर के पत्रांक : मान्यता/बेसिक-1/19007/2015-16 दिनांक 31 दिसम्बर 2015 द्वारा उपरोक्त विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है, अतः उक्त संस्तुति के क्रम में एवं शासनादेश में दिये गये व्यवस्थानुसार सम्बन्धित विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल तक (कक्षा 01 से 08 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सन्त कबीरनगर।

पृ०सं० : बेसिक/ /2018-19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल गोरखपुर/बस्ती।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बघौली सन्त कबीरनगर।
4. प्रबन्धक, जी०आर० एकेडमी, देवडाड, सन्त कबीरनगर।
5. कार्यालय प्रति।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सन्त कबीरनगर।

PRINCIPAL
G. R. ACADEMY
Devdand, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

Prince Kumar
MANAGER
G. R. ACADEMY
Devdand, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांक/मान्यता/बेसिक–1/ 1907 /2015–16 दिनांक 31 दिसम्बर 2015

प्रबन्धक,

जी0आर0एकेडमी, देवडांड़,
वि0क्षे0 बघौली, जनपद–संत कबीर नगर।

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके तारीख के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण में प्रति निर्देश से, मैं **जी0आर0एकेडमी, देवडांड वि0क्षे0 बघौली, जनपद–संत कबीर नगर** कक्षा को तारीख **31.12.2015** से तारीख **30.12.2018** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25%** तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (v) अधिनियम की उपबंध के अनुसार निःशक्ततायस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

Prince Kumar

PRINCIPAL
G. R. ACADEMY
Devdand, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

MANAGER
G. R. ACADEMY
Devdand, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

(vi)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है: और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय का क्षेत्रफल	:	10000 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्र	:	8405 वर्ग फीट
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	:	1595 वर्ग फीट
कक्षाओं की संख्या	:	12
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भाण्डागार के लिए कक्ष	:	6
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	:	बालक हेतु 4 एवं बालिकाओं हेतु 4
पेयजल सुविधा	:	हैण्डपंप 2,
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	:	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुंच	:	सुलभ है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा, खलेकूल उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	:	मानकानुसार उपलब्ध है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्ष की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयारी किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ..1../2015–16 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करनेया विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
संत कबीर नगर

PRINCIPAL
G. R. ACADEMY
Devdand, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

MANAGER
G. R. ACADEMY
Devdand, Khalilabad
Sant Kabir Nagar